## जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 100 वीं बैठक दिनांक 21-9-2006 को मध्यान्ह 12.30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 2 व अति. एजेण्डा सं0 1 से 4 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एजेण्डा सं0 3, 4 व अति. एजेण्डा सं0 5 से 8 वरिष्ठ नगर नियेाजक (एम.पी.), एजेण्डा सं0 5 वरिष्ठ नगर नियोजन (बीपीसी) द्वारा तैयार किया गया है जिसका संकलित कार्यवाही विवरण :-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री मोहन लाल गुप्ता, माननीय विधायक राजस्थान विधानसभा , जयपुर।
2. श्री नवरतन राजौरिया, माननीय विधायक राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. श्री जी.एल. गुप्ता, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री पी. अरविन्द, कार्यवाहक निदेशक (आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
5. श्री रामनिवास मीणा, अति.आयुक्त (पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
6. श्री मातादीन शर्मा, अति. आयुक्त (एल.पी.सी.) जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री नीरज तिवाडी, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री महेन्द्र पारख, उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन-5 जविप्रा, जयपुर।
5. श्री देवाराम सैनी, उपायुक्त जोन-6, जविप्रा जयपुर।
6. श्री गिरीराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री कृष्णावतार त्रिवेदी, उपायुक्त जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री लेखराज तोषावाडा, उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
9. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
10. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(बीपीसी-स्कीमस्) जविप्रा, जयपुर।
11. श्रीमती आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक(एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
12. श्री अनन्त देव टांक, उप नगर नियोजक, जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री हीरालाल, उप नगर नियोजक, जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री शेराराम, उप नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
15. श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक नगर नियोजक जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
16. आर. के. पुरी संयुक्त रजिस्ट्रार (सहकारिता) जविप्रा, जयपुर।

---

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा सं0 1 :- बीपीसी (ले आऊट प्लान) की 99 वीं बैठक दिनांक 14.9.2006 को सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा सं0 2 :– श्यामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना "मनु विहार विस्तार" के अनुमोदन के संबंध में।

1. पूर्व अनुमोदित योजना मानचित्र में अंकित सीमा को ही आधार माना जावें।
2. भू. सं. 2 से 6, 8 से 12, 17, 21, से 23, 25, 29, 31 से 36, 39, 43 से 45, 48, 50 से 53, 58, 65 से 68, 76, 79, 80, कुल 39 पट्टे जो पूर्व में जारी किये गये उनमें मानचित्र में संशोधन अनुसार संशोधित पट्टे जारी किये जावें।
3. आई.ओ.सी. गैस पाइप लाईन के केन्द्र बिन्दु से दोनों ओर 30'–30' 'नो कन्सट्रक्शन जोन' छोडने के पश्चात दोनों तरफ 30'–30' सडक रखी जावें।
4. आई.ओ.सी. गैस पाइप लाईन के कारण भू सं. 1 से 5 व 21 प्रभावित है जबकि भू. सं. 1 पूर्व में ही गैर अनुमोदित है भू. सं. 2 से 4 को अन्य स्थान पर प्रस्ताव अनुसार संशोधित स्थल पर रखा जावें तथा भू. सं. 5 व 81 को उसी स्थान पर रखते हुए भूखण्डों के क्षेत्रफल में संशोधन किया जावें।
5. भू. सं. 6 से 19 की चौडाई पूर्व में 40' के स्थान पर 39' रखते हुए संशोधित की जावें।
6. भू. सं. 20 व 21 के मध्य की पूर्व में अनुमोदित 40' सडक को प्रस्ताव अनुसार 30' चौडी रखी जावें।
7. भू. सं. 31, 32, 33 व 35 अनुमोदित मानचित्र से भिन्न है अतः मौका स्थिति अनुसार भू. सं. 31, 32, 33 व 35 के स्थान में संशोधन किया जावें।
8. पूर्व में भू. सं. 40 ए गैर अनुमोदित था जिसे संशोधित मानचित्र में सृजित नहीं किया जावें।भू. सं. 40 व 40 ए के उपर से 33 के.वी. की एच टी लाइन गुजर रही है अतः इन भूखण्डों के भू. भाग को सुविधा क्षेत्र के अर्न्तगत रखा जावे एवं भू. सं. 40 को प्रस्ताव अनुसार संशोधित किया जावें।
9. भू. सं. 48 से 60 के बीच स्थित भूखण्डों के नम्बर मौका स्थिति अनुसार अंकित किये जावे।

उपरोक्त संशोधनों को सम्मिलित करते हुए योजना का संशोधित मानचित्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि उपायुक्त जोन द्वारा संशोधित मानचित्र अपने कार्यालय मे चस्पा करेंगें तथा योजना के समस्त भूखण्डधारियों को विज्ञप्ति के जरिये सूचना प्रकाशित करवायेंगें एवं विज्ञप्ति में सात दिवस का समय आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करने का समय सुनिश्चित करेंगें। यदि किसी भूखण्डधारी द्वारा निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रकट की जाती है तो पुनः प्रकरण को बी. पी. सी. के समक्ष रखा जावें।

एजेण्डा सं0 3 :– सेक्टर 13–14 की प्रस्तावित 80 फीट सैक्टर रोड की चौडाई के निर्णय के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि:–

1. सेक्टर 13–14 की प्रस्तावित 80 फीट सेक्टर रोड जो खातीपुरा रोड से प्रस्तावित 100 फीट सेक्टर रोड को (वाया जसवन्त नगर, ए. के. गोपालन नगर सिंह भूमि, हनुमान नगर विस्तार) मिलाती है, को 80 फीट के स्थान पर 40 फीट किया जायें।
2. उपरोक्त कार्यवाही करने के पश्चात समस्त तथ्यों से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

एजेण्डा सं0 4 :– पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं. 16 गिरनार कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 74 के स्थान परिवर्तन के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 72, 73, 74 एवं सडके के स्थान परिवर्तन के संबंध में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने के साथ–साथ संबन्धित भूखण्डधारियों को भी सूना जावे।

एजेण्डा सं0 5 :– मैसर्स सन सिटी प्रोजक्ट प्रा. लि0 जरिये विपिन बक्षी की आवासीय योजना सन सिटी के अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

1. खसरा बाउण्ड्री से बाहर के क्षेत्र को अस्वीकृत किया जावे।
2. योजना में कामर्शियल क्षेत्र में 2प्रतिशत फुटकर व्यवसाय क्षेत्र को दिखाया जावे।
3. योजना में 40 प्रतिशत पार्क व सडके रखी जावें तथा शेष 60 प्रतिशत में आवासीय क्षेत्रफल व संस्थानिक क्षेत्रफल जैसे स्कूल, हास्पिटल व Community Centre दर्शाए हैं। समिति का यह मत था कि योजना में Facility देना जनहित में एक अच्छी सोच है। अतः उसे 60 प्रतिशत में स्वीकृत किया जाए।
4. योजना में ब्लाक–बी में भू.स. 18 व भू.स. 31 ब्लॉक सी–1 के भू. सं. 21,22 के दक्षिण की ओर प्रस्तावित 60.0' चौडी सडक को सीधी खोले जाने का निर्णय लिया गया जिसमें भू.सं. 64 को अस्वीकृत किया जावे।
5. भू. सं. ब्लॉक सी–1 के भू.स. 14 से 22 के पश्चिम की ओर की प्रस्तावित सडक को 60.0' किया जावे।
6. योजना लघुनगर के अनुसार है व एरिया का सेक्टर प्लान नहीं बना है इसलिए 80.0' व 80.0' चौडी सडक में वाणिज्यिक भू पट्टी नहीं रखी जावे। इन सडकों का विकास कार्य विकास कर्ता को करना होगा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अति. एजेण्डाओ पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिये गये:–

अति. एजेण्डा 1 :– हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की सुन्दर विहार योजना टोंक रोड दुर्गापुरा के भू. सं. 24 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने बाबत।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इसको स्थगित किया जावें।

अति. एजेण्डा 2 :– दी कृष्णा को आपरेटिव हाउसिंग सोसायटि लिमिटेड की योजना गोविन्दपुरी ए.बी.सी.डी. ई के भू. सं. 34, ए–35, ए–36, ए–37, ए 40, ए 44, ई 117 से ई 123, ई 125 से ई 129, सी 24 से सी 26, सी 35 से सी 36, सी 45, से सी 46, सी 47, डी 12, डी 13एबीसी, डी 14, डी 15 डी 26ए, डी 31, डी 39 व डी 49 कुल भूखण्ड 40 एच टी लाईन से 50' दूरी में आने के कारण अस्वीकृत भूखण्डों को नियमन करने बाबत्।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर सर्वसममति से यह निर्णय लिया कि कार्यालय आदेश क्रमांक जविप्रा/वननि/सीपी/सीलू/02/डी– दिनांक 26.12.02 के तहत 33 के.वी. की विद्युत लाइन हेतु एच टी

लाइन के मध्य से भूखण्ड सीमा तक की सुरक्षित एच.टी. लाइन के मध्य बिन्दु से 25' प्रत्येक ओर निर्धारित की गई है अतः उक्त योजना पर से गुजर रही एच.टी लाईन के मध्य बिन्दु से 25' प्रत्येक ओर दूरी छोडने के पश्चात भू. सं. 34, ए–35, ए–36, ए–37, ए 40, ए 44, ई 117 से ई 123, ई 125 से ई 129, सी 24 से सी 26, सी 35 से सी 36, सी 45, से सी 46, सी 47, डी 12, डी 13एबीसी, डी 14, डी 15 डी 26ए, डी 31, डी 39 व डी 49 कुल भूखण्ड 40 एच टी लाईन के मध्य बिन्दु से 25' पश्चात शेष भाग का अनुमोदन किया जावें।

अति. एजेण्डा 3 :– मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिवपुरी के भूखण्ड सं. ई–1, ई–16 से ई–20 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने बाबत्।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संबंधित उपायुक्त द्वारा माननीय विधायक श्री मोहन लाल जी को मौका निरीक्षण करवायेगें एवं मौके की विस्तृत रिपोर्ट के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करेंगें।

अति. एजेण्डा 4 :– माधव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. चन्द्र नगर योजना में स्वीकृत 30' चौडी सडक (भू. सं. 61 व 63 के मध्य) के स्थान पर एक अतिरिक्त भूखण्ड संख्या 62 को स्वीकृति बाबत्।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मौके पर निर्माण होने के कारण से सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार भू. सं. 62 को यथा स्थान पर पूर्व अनुमोदित मानचित्र में स्वीकृत सडक को हटाते हुए नियमित किया जावें। भू. सं. 2 व 60 के मध्य सहकारी समिति द्वारा पूर्व प्रस्तुत योजना मानचित्र में दर्शित सडक पर अन्य द्वारा कब्जा किये जाकर मौके पर निर्माण होने की वजह से उक्त भूखण्ड को भूखण्ड संख्या 62 ए रखते हुए, राजकीय भूमि माना जाकर नियमानुसार निर्धारित दर लिये जाकर नियमन किया जावें।

अति. एजेण्डा 5 :– माननीय अपीलिय अधिकरण के निर्णयानुसार भूखण्ड संख्या 56 केशव नगर योजना जिसे सुविधा क्षेत्र में दर्शित किया गया है को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने हेतु।

समिति के समक्ष प्रार्थी अपना वकील के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा है अतः विचार विमर्श प्रश्चात निर्णय लिया गया कि केशव नगर के समीप रिक्त भू–भाग जिसमें मन्दिर व सामुदायिक केन्द्र बने हुए हैं, उस भूमि के स्वामित्व संबंधी जांच कर इस योजना के साथ जोडे जाने पर योजना क्या अनुपात बनता है का विश्लेषण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

अति. एजेण्डा 6 :– कीर्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की कनक विहार योजना के भूखण्ड संख्या 50/50–51ए एवं 51 के भवन सीमा में शिथिलता दिये जाने बाबत।

जोन द्वारा एजेन्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा दिये गये प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

अति. एजेण्डा 7 :– भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की ढाका नगर योजना में सिरसी रोड के सहारे प्लान्टेशन कोरीडोर हटाये जाने के संबंध में।

भू–नियमन शिविर में सीरसी रोड R.O.W. के पश्चात प्रस्तावित प्लानटेंशन कोरीडोर से प्रभावित भूखण्डधारियों ने निवेदन किया की प्लानटेशन कोरीडोर को हटाकर उनके भूखण्डों का नियमन किया जावें।

प्रार्थीयान बीपीसी की बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा की उनका पुस्तेनी मकान है अतः उनके भूखण्डों को सहानुभूति पूर्वक विचार कर प्लानटेशन कोरीडोर से मुक्त किया जावे।

उक्त संदर्भ में विचार विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि मास्टर विकास योजना 01.09.1998 से लागू है। जिसके अनुसार प्लानटेशन कोरीडोर रखा जाना है। यदि इनके मकान 01.09.1998 से पूर्व में बना हुआ है का प्रमाण प्रस्तुत किया जाने पर सुनिश्चित कर प्लानटेशन कोरीडोर से प्रभावित भूखण्डधारियों के भूखण्डों का नियमन किया जावें।

अति. एजेण्डा 8 :– संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की ऑफीसर्स कैम्पस योजना के भूखण्ड संख्या 436 से 443 के नियमन के संबंध मे।

समिति के समक्ष प्रार्थीगण एवं विकास समिति उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा अतः प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों को मौका निरीक्षण करवाया जावें। मौका निरीक्षण रिर्पोट के साथ प्रकरण को पुनः बीपीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

4/10/06

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)

क्रमांक :– जविप्रा / वननि / बी.पी.सी. / 2006 / डी– 142
दिनांक :– 04/10/06
प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष जयपुर विकास प्रधिकरण, जयपुर।
2. माननीय विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता
3. माननीय विधायक श्री नवरतन राजोरिया
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम ) / (एलपीसी ), जविप्रा, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट / एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन ................ जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

4/10/06

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।